

एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर छ.ग.

क्रमांक/अपराध/अनु0-09 (15)/ 971 / 2015,

रायपुर, दिनांक : 24/03/2015

प्रति,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम,
मोवा, रायपुर छ.ग.

विषय:- चॉवल के सैम्पल कलेक्शन एवं क्वालिटी की जांच हेतु क्वालिटी चेक अधिकारी नियुक्त करने बाबत।

संदर्भ :- थाना ईओडब्ल्यू/एसीबी के अपराध क्रमांक 09/2015, धारा- 13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 109, 120बी. भादवि0

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित अपराध की विवेचना के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदेश के निम्नानुसार कलेक्शन सेन्टरों में संग्रहित चॉवल के गुणवत्ता की जांच की जानी है। इस हेतु उक्त स्थानों से चॉवल के सैम्पल प्राप्त किए जाने हैं एवं उनका गुणवत्ता संबंधी परीक्षण कराया जाना है। अतः इस हेतु क्वालिटी चेक अधिकारी नियुक्त कर इन क्वालिटी चेक अधिकारियों को निम्नानुसार कलेक्शन सेन्टरों से चॉवल के सैम्पल प्राप्त कर उनका परीक्षण कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

कलेक्शन सेन्टरों एवं विभाग के संपर्क अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.	कलेक्शन सेन्टर का नाम	संपर्क अधिकारी	मो.नं०
01	कांकेर	निरीक्षक चंद्रशेखर धुव	94241-05841
02	धमतरी		
03	सूरजपुर	निरीक्षक अजितेश सिंह	99261-11932
04	गरियाबंद	निरीक्षक लंबोदर पटेल	94242-70670
05	बलौदबाजार	निरीक्षक नवनीत पाटिल	94064-04054
06	कवर्धा	निरीक्षक कादिर खान	94252-15283
07	रायगढ़	निरीक्षक प्रमोद खेस	96699-86100

(रजनेश सिंह)

पुलिस अधीक्षक

एन्टी करप्शन ब्यूरो,

रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/अपराध/अनु0-09 (15)/

/ 2015,

रायपुर, दिनांक : / 03/2015

प्रतिलिपि :-

01. निरीक्षक श्री संजय देवस्थले, ई.ओ.डब्ल्यू रायपुर को सूचनार्थ।
02. संबंधित संपर्क अधिकारियों को पालनार्थ।

पुलिस अधीक्षक

एन्टी करप्शन ब्यूरो,

रायपुर, छत्तीसगढ़

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू/ ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)